विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, दुर्ग
दुर्ग क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर नाका दुर्ग–491001

क्र. 198 दि. 30/06/2026

प्रकरण क्रमांक CGRF/DURG/2026/54
दिनांक 08.05.2026

आवेदक

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पंचायत, डौण्डी लोहारा,
जिला बालोद
बी.पी. नं. **1005541273**,
मो नं. **9589845434**

विरूद्ध

कार्यपालन अभियंता (संचा/संधा) संभाग
छ.स्टे.पॉ.डि.कं.लिमि., बालोद

अनावेदकगण

सहायक अभियंता उपसंभाग
छ.स्टे.पॉ.डि.कं.लिमि., डौंडीलोहारा

विषय :– नगर पंचायत डौण्डी लोहारा के सड़क बत्ती हेतु स्थापित 11 किलोवाट के विद्युत कनेक्शन में मीटर रीडिंग एवं बिलिंग संबंधी अनियमितता के संबंध में।

आदेश

(आज दिनांक 25.06.2026 को पारित किया गया)

1. विवाद का संक्षिप्त विवरण

आवेदक द्वारा प्रस्तुत परिवाद में अभ्यावेदन किया गया कि बी.पी. क्रमांक 1005541273 से संबंधित सड़क बत्ती विद्युत कनेक्शन में मीटर रीडिंग एवं बिलिंग में अनियमितता होने के कारण त्रुटिपूर्ण विद्युत देयक जारी किए जा रहे हैं। अतः पूर्व अवधि की बिलिंग का परीक्षण कर संशोधित विद्युत देयक जारी किए जाने की प्रार्थना की गई।

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम दुर्ग

फोरम द्वारा उक्त परिवाद को प्रकरण क्रमांक CGRF / DURG / 2026 / 54 के अंतर्गत पंजीबद्ध कर सुनवाई प्रारंभ की गई।

2. प्रकरण की कार्यवाही

दिनांक 19.05.2026 को प्रथम सुनवाई आयोजित की गई, जिसमें आवेदक अनुपस्थित रहे तथा अनावेदकों की ओर से प्रतिनिधि उपस्थित हुआ।

प्रकरण की अगली सुनवाई दिनांक 17.06.2026 को आयोजित की गई, जिसमें भी आवेदक अनुपस्थित रहे तथा अनावेदकों की ओर से सहायक अभियंता एवं कनिष्ठ अभियंता, उपसंभाग डौण्डी लोहारा उपस्थित हुए।

फोरम द्वारा अनावेदकों को निर्देशित किया गया कि प्रकरण से संबंधित संपूर्ण बिलिंग अभिलेख, विगत तीन वर्षों के बिलिंग गणना पत्रक तथा मीटर रीडिंग संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किए जाएँ।

दिनांक 24.06.2026 को अनावेदकों द्वारा आवश्यक अभिलेख प्रस्तुत किए गए। प्रस्तुत प्रतिवेदन के अनुसार बी.पी. क्रमांक 1005541273 के अंतर्गत सड़क बत्ती कनेक्शन में पूर्व में LANDIS, SL No- 195298, 5-30A सिंगल फेज मीटर स्थापित था, जिसे कंपनी के नियमानुसार दिनांक 24.08.2025 को GENUS Smart Meter, SL No- G3887572 5-30A से प्रतिस्थापित किया गया। मीटर परिवर्तन के समय पुराने मीटर की अंतिम रीडिंग 57691 यूनिट तक बिलिंग की जा चुकी थी। पुराने मीटर में पावर फैक्टर (PF) का रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं था। स्मार्ट मीटर स्थापित होने के पश्चात अधिकतम मांग (MD) एवं पावर फैक्टर का रिकॉर्ड लिया जा रहा है तथा टैरिफ प्रावधानों के अनुसार पावर फैक्टर प्रोत्साहन (Rebate) प्रदान किया जा रहा है।

3. फोरम द्वारा परीक्षण एवं निष्कर्ष

प्रकरण में उपलब्ध अभिलेखों, मीटर डायरी, बिलिंग गणना पत्रक एवं पक्षकारों के कथनों के परीक्षण के उपरांत फोरम निम्न निष्कर्ष पर पहुँचता है—

1. अभिलेखों से स्पष्ट है कि उपभोक्ता का स्वीकृत भार 2.2 किलोवाट था। मीटर डायरी के परीक्षण से ज्ञात हुआ कि मई 2025 जून 2025 जुलाई 2025 को क्रमशः 11 किलोवाट

5 किलो वाट और 10 किलो वाट अधिकतम मांग (Maximum Demand) दर्ज की गई। प्रचलित टैरिफ आदेश के अनुसार यदि किसी उपभोक्ता की अधिकतम मांग लगातार तीन माह तक स्वीकृत भार से अधिक रहती है, तो स्वीकृत भार को अधिकतम मांग के अनुरूप पुनर्निर्धारित किया जाना आवश्यक है। अतः उपभोक्ता का स्वीकृत भार अगस्त 2024 से 11 किलोवाट माना जाना उचित है। फलस्वरूप अप्रैल 2025 से बाद की अवधि में अधिकतम मांग के आधार पर लगाए गए Demand Surcharge की वसूली नियमानुकूल निरस्त किया जाता है।

2. मीटर डायरी के परीक्षण से यह भी स्पष्ट हुआ कि पुराने मीटर की अवधि में पावर फैक्टर (PF) का कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं था, तथापि सितंबर 2023 से जनवरी 2026 तक उपभोक्ता के विद्युत देयकों में लगातार Power Factor Surcharge लगाया गया। बिना PF रिकॉर्ड के PF Surcharge लगाया जाना टैरिफ प्रावधानों के विपरीत है। अतः उक्त अवधि का संपूर्ण च्वूमत थ्बजवत ैनतबींतहम निरस्त किया जाना उचित है।

3. पुराने मीटर एवं स्मार्ट मीटर की खपत का तुलनात्मक परीक्षण करने पर ऊर्जा खपत में किसी प्रकार की विसंगति अथवा मीटर की खराबी प्रमाणित नहीं हुई। अतः मीटर रीडिंग के संबंध में उपभोक्ता की शिकायत स्वीकार करने का कोई आधार उपलब्ध नहीं है।

4. आदेश

उपरोक्त तथ्यों एवं अभिलेखों के परीक्षण के आधार पर फोरम निम्न आदेश पारित करता है–

1. उपभोक्ता का स्वीकृत भार प्रचलित टैरिफ आदेश के अनुसार अगस्त 2024 से 11 किलोवाट पुनर्निर्धारित किया जाए।

2. अगस्त 2024 के बाद की अवधि में अधिकतम मांग के आधार पर लगाए गए Demand Surcharge को निरस्त करते हुए संशोधित विद्युत देयक जारी किया जाए।

3. सितंबर 2023 से जनवरी 2026 तक बिना पावर फैक्टर रीडिंग के लगाए गए समस्त Power Factor Surcharge को निरस्त कर उसकी राशि उपभोक्ता के खाते में समायोजित की जाए।

4. पुराने मीटर एवं स्मार्ट मीटर की खपत में किसी प्रकार की विसंगति नहीं पाए जाने से इस संबंध में कोई राहत प्रदान नहीं की जाती।

5. उपरोक्त मदों में यदि उपभोक्ता से अतिरिक्त राशि वसूल की गई है, तो उसे आगामी विद्युत देयकों में समायोजित किया जाए।

6. संशोधित विद्युत देयक जारी करने एवं समस्त कार्यवाही आदेश की प्रति प्राप्त होने से 30 दिवस के भीतर पूर्ण कर अनुपालन प्रतिवेदन फोरम के समक्ष प्रस्तुत किया जाए।

7. यह आदेश फोरम द्वारा उपलब्ध अभिलेखों, पक्षकारों के कथनों तथा प्रचलित विद्युत टैरिफ प्रावधानों के आधार पर पारित किया जाता है।

8. प्रकरण का निराकरण उपर्युक्त आदेशानुसार किया जाता है।

9. यदि शिकायतकर्ता/आवेदक इस आदेश से असंतुष्ट हो, तो वह आदेश की प्राप्ति की तिथि से 45 दिवस के भीतर माननीय विद्युत लोकपाल, रायपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकता है।

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम दुर्ग

(ममता कश्यप)
सदस्या
विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण फोरम दुर्ग

(पी.व्ही. सजीव)
अध्यक्ष
विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण फोरम दुर्ग